प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर0 के0 पब्लिक स्कूल,
सूरजपुर टीकरी स्याना रोड, औरंगाबाद,
बुलन्दशहर।

पत्रांकः बेसिक/मान्यता/16587–90 /2021–22 दिनांक 28 मार्च, 2022

विषय–विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रबन्धक, आर0 के0 पब्लिक स्कूल, सूरजपुर टीकरी स्याना रोड, औरंगाबाद, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में इस आशय की पत्रावली प्रस्तुत की गयी है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक बेसिक /मान्यता/14572–74/2018–19 दिनांक 17 जनवरी 2019, जो कक्षा नर्सरी से 8 तक की अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान की गयी है उसे स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रबन्धक के द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय के पत्रांक बेसिक/मान्यता/1901–02/2021–22 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर को विद्यालय का निरीक्षण कर स्थायी मान्यता हेतु जांच आख्या प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र दिनांक 27.01.2022 के अनुकम मे खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर द्वारा अपने जांच आख्या दिनांक 08.02.2022 के द्वारा विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान करने हेतु संस्तुति की गयी।

प्रबन्धक के द्वारा प्रस्तुत पत्रावाली का अनुसीलन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि वर्तमान में उक्त विद्यालय के नाम भूमि लीज–डीड दिनांक 02.10.2047 तक की अवधि के लिए हो चुका है तथा मान्यता हेतु निर्धारित अभिलेख पत्रावली में रक्षित पाये गये है।

अतः खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर की जांच आख्या दिनांक 08.02.2022 के अनुकम में विद्यालय को इस शर्तों के साथ स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है कि भविष्य में शासनादेश संख्या 419/79–6–2010–18 (20)/91 दिनांक 08 मई 2013 में दी गयी शर्ते मान्यतों की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित / प्रकाषित होती है तो शासनादेश संख्या 419/79–6–2010–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के नियम 13 के उपनियम (क)(ख)(ग)(घ) के अन्तर्गत–कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवा भविष्य में कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर यह स्थायी मान्यता आदेश तत्काल प्रभाव से स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।

भवदीय,

(बी0बी0 शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

पृ0 सं0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी वि0 क्षेत्र जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

मान्यता कोड संख्या–अंग्रेजी अस्थाई नर्सरी व जूनियर –2

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर0के0 पब्लिक स्कूल,
सूरजपुर टीकरी स्याना रोड, औंरगाबाद,
विकास क्षेत्र जहॉंगीराबाद,
बुलन्दशहर।

पत्रांक:बेसिक/मान्यता/ 14572-74 **/2018–19 दिनांक** 12-01-19

विषय:– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 25.08.2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से में ***आर0के0 पब्लिक स्कूल, सूरजपुर टीकरी स्याना रोड, औंरगाबाद, विकास क्षेत्र जहॉंगीराबाद, बुलन्दशहर,*** को तारीख 01.04.2019 से तारीख 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी से कक्षा 08** तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29.12.2018 के प्रस्ताव संख्या .... में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा. 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा. विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रति पूरित किया जाएगा। ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

क– प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

ख– किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

ग– प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

घ– प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

च– अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

छ– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिन के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

ज– अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है।

झ– अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	8800 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र	–	400 वर्ग मी0
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल	–	8400 वर्ग मी0
कक्षाओं की संख्या	–	10
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष	–	04
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–	उपलब्ध हैं
पेयजल सुविधा	–	उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई		
बाधा रहित पहुंच		
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता		

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से को ईगैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्या–अग्रेंजी अस्थाई नर्सरी व जूनियर–2** है। कृपया इसे नोट करलें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
19. विद्यालय में शिक्षक/शिणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के अनुसार की जाये।
20. मान्यता की शर्तो के उल्लघंन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय

(अम्बरीष कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0:बेसिक/मान्यता/ /2018–19 तद्दिनांक–

प्रतिलिपिः–निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ ।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/नगर क्षेत्र जहाँगीराबाद।
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

Principal
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)

Manager
R.K. Public School
(Block Jahangirabad)
Near Police Station
Aurangabad (Bulandshahr)